न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 111/2025 दायर दिनांक–02.05.2025

1. इन्द्रकंवर पत्नी स्व0 भंवर सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र स्व0 भंवर सिंह
3. प्रताप सिंह पुत्र स्व0 भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं
4. इचरज कंवर पुत्री स्व0 भंवर सिंह पत्नी श्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल हाल आबाद वार्ड नं0 11 पालसु कलां नागौर जिला नागौर राज0
5. हवा कंवर पुत्री भंवर सिंह पत्नी श्री ओम सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल हाल आबाद वार्ड न0 11 पालसु कलां नागौर राज0

–वादीगण

1. झाबर पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
2. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जांखल तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सम्पत सिंह शेखावत
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

<u>दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक–15.07.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 1.5500 है0 स्थित है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता/पिता भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह है तथा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं0 1 झाबर है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है।

विवादग्रस्त भूमि में खातेदारी दर्ज होते समय वादीगण के पिता/पति का नाम भंवर सिंह पुत्र लाख सिंह दर्ज हो गया था जबकि वादीगण के पति/पिता का वास्तविक नाम भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह है जो कि वादीगण के पति/पिता के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। वादीगण के पिता /पति का देहांत दिनांक 30.10.2023 को हो चुका है। जिसके एकमात्र वारिसान वादीगण है जिसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.06.2024 को जारी किया गया है। वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड तथा दस्तावेजात में भिन्न होने के कारण विरासत का नामान्तकरण नही भरा गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार भंवर सिंह पुत्र लख सिंह के 1/2 हिस्से का वादीगण प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अ[illegible]।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] करण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी [illegible] सिंह का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के सम[illegible] नकल जमाबंदी स[illegible]075–78, भंवर सिह का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड–भंवर सिंह, भूतपूर्व [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा जारी [illegible] पत्र आदि दस्तावेज़ पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बह[illegible] वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को [illegible]। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि स्व0 भंवर सिंह पुत्र मूलसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से भंवर सिंह पुत्र लाख सिंह दर्ज हो गया था तथा वादीगण स्व0 भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

वारीसान है। चुंकि भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारीसान वादीगण 1 लगायत 5 है। अतः उक्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार भंवर सिंह के स्थान पर उसके विधिक वारीसान वादीगण 01 लगायत 05 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

उपरोक्त विवेचंना अनुसार वाद वांदी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 1.5500 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार भंवर सिंह पुत्र लखसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/2 हिस्से का वादीगण 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 111/2025 (**इन्द्र कंवर आदि बनाम झाबर आदि**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.07.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 1.5500 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार भंवर सिंह पुत्र लखसिंह का नाम हजफ किया जाकर उसके 1/2 हिस्से का वादीगण 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.07.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested